दावा सं0 – 171/22
रजु दिनांक – 14.07.2022
निर्णय दिनांक – 15.07.2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, (खैरथल–तिजारा)

पीठासीन अधिकारी– सुरेन्द्र प्रसाद (R.A.S)

दावा संख्या
171/22

रजु दिनांक
14/07/2022

निर्णय दिनांक
15/07/2024

//उनवान//

1. जीवराज पुत्र रामलाल जाति ब्राह्मण निवासी टोडरपुर तहसील मुण्डावर, जिला खैरथल–तिजारा (राज.)

:– वादीगण

बनाम

1 धर्मेन्द्र उर्फ धर्म पुत्र श्रीराम
2. महावीर पुत्र बस्तीराम
3. लीलाराम पुत्र बदलूराम
4. जीतराम पुत्र बस्तीराम
5. दलीप पुत्र बस्तीराम
6. संजय पुत्र बदलूराम जातियान जाट निवासीयान टोडरपुर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राज0।
7. लैण्ड होल्डर जर्ये तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राज0।

:–प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री अमित तिवाडी – वकील वादीगण, एवं श्री अशोक चौधरी वकील प्रतिवादीगण।

दावा– दावा दखलयाबी धारा 183 एवं 188 राज0 कास्त0 अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :– 15/07/24

आज यह पत्रावली सुनाये जाने निर्णय आदेश पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित आये वादी के वाद का सारतः रहा कि हाल आराजी खसरा नम्बर 481 रकबा 0.62 हैक्टेयर वाके ग्राम टोडरपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 में स्थित होकर विवादित आराजी कहलायेगी उक्त आराजी वादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है, मिन वादी ने दिनांक 18.06.2024 को अपनी आराजी को फसल बाजरा के लिए बाह जोत कर तैयार की थी लेकिन दिनांक 20.06.2022 को प्रतिवादीगण ने मिन वादी की आराजी पर जबरन कब्जा कर झोंपडी का निमार्ण कर दिया मिन वादी ने एक वाद हु0 ई0 दवामी का प्रतिवादीगण के खिलाफ न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर यहां जेर तजवीर था। तथा प्रतिवादीगण ने दौराने वाद जबरन उक्त आराजी में कब्जा कर झोंपड़ी का निमार्ण कर लिया जिस कारण पूर्व वाद को नया वाद पेश करने की अनुमती के साथ विड्रो कर यह वाद दखलयाबी पेश करना लाजिमी आया है। तथा प्रतिवादीगण ने दौराने वाद स्थगन आदेश होने के बावजूद जबरन उक्त आराजी में दिनांक 20.06.2022 को कब्जा कर झोंपड़ी का निर्माण कर लिया है। तथा डिक्री जारी की जावें कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 481 रकबा 0.62 हैक्टेयर पर किये गये झोंपड़ी के निर्माण को तुड़वाकर प्रतिवादीगण को बेदखल कर मिन वादी को कब्जा दिलाया जावे एवं स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर पुनः कब्जा ना करें। बाबत निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी की विधिवत तलबी कराई गई तथा प्रतिवादीगण की संख्या 1 ल0 6 की और से वकील श्री अशोक चौधरी ने वकालतनाम पेश कर जवाबदावा पेश किया जवाब में कथन किया

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

गया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 481 रकबा 0.62 हैक्टेयर साबिक खसरा नम्बर 239 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा से पैमूद हुआ है तथा साबिक खसरा नम्बर 239 मिन प्रतिवादीगण के पूर्वज बतौर शिकमी काश्तकार काबिज रहा है तथा मिन प्रतिवादीगण के पूर्वज के फौत होने के बाद मिन प्रतिवादीगण आराजी पर काबिज है। तथा काश्त कर रहे है। तथा है। वादी ने वादपत्र मिथ्या तथ्यों के आधार पर पेश किया है। तथा मिन प्रतिवादीगण द्वारा शिकमीकाश्तकार के आधार पर अपने नाम खातेदारी लेने हेतु अदालत श्रीमान के समक्ष वाद बअनुवान धर्मेन्द्र बनाम जीवराज के नाम से पेश किया जिस वादी की जानकारी वादी को होने पर वादी ने उक्त दावा गलत तथ्यो पर पेश किया है।

वादी ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी सम्वत 2016 प्रर्दश–2, नकल जमाबंदी सम्वत 2029 प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी सम्वत 2035 प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी सम्वत 2038 प्रदर्श–5, नकल जमाबंदी सम्वत 2043 प्रदर्श–6, नकल जमाबंदी सम्वत 2047 प्रदर्श–7, नकल जमाबंदी सम्वत 2055–2058 प्रदर्श–8, नकल जमाबंदी सम्वत 2059 प्रदर्श–9, नकल जमाबंदी सम्वत 2063–2066 प्रदर्श–10, नकल जमाबंदी सम्वत 2067–2070 किता–2 प्रदर्श–11, तथा मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ–पत्र जीवराज पी0 डब्ल्यू–1, जितेन्द्र पी0 डब्ल्यू–2 पेश किये है जो शामिल पत्रावली है। एवं प्रतिवादीगण की तरफ से कोई साक्ष्य या साक्ष्य स्वरूप शपथ–पत्र पेश नहीं किये गये है।

प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई :–

1. आया आराजी खसरा नम्बर 481 रकबा 0.62 हैक्टेयर वाके ग्राम टोडरपुर तहसील मुण्डावर वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि थी जिस पर दिनांक 20.06.2022 को प्रतिवादीगण ने जबरन कब्जा कर झोंपड़ी का निर्माण कर दिया जिसे मिन वादी अपने खर्चे से हटवाकर जरिये अदालत कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है।

जिम्मे वादीगण।

2. आया विवादित आराजी खसरा नंबर 481 रकबा 0.62 हैक्टेयर वाके ग्राम टोडरपुर तहसील मुण्डावर साबिक खसरा नंबर 239 से पैमूद हुये है। साबिक खसरा नम्बर 239 संवत 2018 में शिकमी दर्ज है इस कारण वादी वाद काबिल खारीज है।

जिम्मे प्रतिवादीगण।

3. दीगर दादरसी।

वकील उभयपक्षकारान की बहस अन्तिम सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने वादपत्र के जिम्मनों को दौहराते हुये अभिकथन किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 481 रकबा 0.62 हैक्ट0 वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। मिन वादी ने अपनी आराजी को फसल बाजरा के बाह जोत कर तैयार की थी लेकिन दिनांक 20.06.2022 को प्रतिवादीगण ने मिन वादी की आराजी पर जबरन कब्जा कर झोंपड़ी का निर्माण कर दिया। जबकी मिन वादी ने एक वाद हु0 ई0 दवामी का प्रतिवादीगण के खिलाफ न्यायालय श्रीमान के यहां जेर तजबीज था तथा न्यायालय श्रीमान से स्थगन आदेश प्राप्त होने के बावजूद प्रतिवादीया ने जबरन कब्जा कर झोंपड़ी का निर्माण कर लिया। अतः विवादित आराजी पर किये गये झोंपड़ी के निर्माण को तुड़वाकर प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादी को कब्जा दिलाया जावे। एवं स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाये कि विवादित आराजी पर पुनः कब्जा नहीं करे। एवं वकील प्रतिवादी ने दौराने बहस अपने जवाब वादपत्र के जिम्मनों को दौहराते हुये अभिकथन किया कि आराजी खसरा नंबर 481 रकबा 0.62 हैक्टेयर, साबिक खसरा नंबर 239 से पैमूद हुये है। तथा साबिक खसरा नंबर 239 प्रतिवादीगण के पूर्वज बतौर शिकमी कास्तकार काबिज है। तथा प्रतिवादीगण के पूर्वज फौत होने के बाद से प्रतिवादीगण आराजी पर काबिज है तथा काश्त कर रहे है तथा प्रतिवादीगण के पूर्वज का नाम सम्वत 2018 के खेवट स0 1 के खतोनी सं0 93 में राजस्व रिकोर्ड में दर्ज रहा है तथा वादी व वादी का पूर्वज आराजी से गैर वास्ता व गैर काबिज है, जिसका आराजी से किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है, तथा मिथ्या तथ्यों पर उक्त दावा पेश किया है, तथा वादी द्वारा पूर्व में भी उक्त आराजी बाबत एक वाद हु0 ई0 दवामी का पेश किया था जिस वाद को वादी ने खारीज करवाकर पुनः वाद पेश किया है, जिससे साफ है कि वादी द्वारा उक्त वाद बदयान्ती पूर्वक पेश किया है।

तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार रहा :–

तनकी सं0 1 – आया विवादित आराजी खसरा नम्बर 481 रकबा 0.62 हैक्टेयर वाके ग्राम टोडरपुर तहसील मुण्डावर वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि थी जिस पर दिनांक 20.06.2022 को प्रतिवादीगण ने जबरन कब्जा कर झोंपड़ी

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (जिला-अलवर)

का निर्माण कर दिया जिसे मिन वादी अपने खर्चे से हटवाकर जरिये अदालत कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। तनकी को साबित करने का भार जिम्मे वादीगण का रहा है। जिस हेतु वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी सम्वत 2016 प्रर्दश–2, नकल जमाबंदी सम्वत 2029 प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी सम्वत 2035 प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी सम्वत 2038 प्रदर्श–5, नकल जमाबंदी सम्वत 2043 प्रदर्श–6, नकल जमाबंदी सम्वत 2047 प्रदर्श–7, नकल जमाबंदी सम्वत 2055–2058 प्रदर्श–8, नकल जमाबंदी सम्वत 2059 प्रदर्श–9, नकल जमाबंदी सम्वत 2063–2066 प्रदर्श–10, नकल जमाबंदी सम्वत 2067–2070 किता–2 प्रदर्श–11, तथा मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ–पत्र नीवराज पी0 डब्ल्यू–1, जितेन्द्र पी0 डब्ल्यू–2 पेश किये है जो शामिल पत्रावली है। उक्त रिकॉर्ड के अवलोकन एवं वकील उभयपक्षकारान की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई बहस अनुसार इस तनकी को यह न्यायालय बरखिलाफ प्रतिवादीगण पाते हुये बहक वादीगण स्वीकार योग्य पाता है।

तनकी सं0 2– आया विवादित आराजी खसरा नंबर 481 रकबा 0.62 हैक्टेयर वाके ग्राम टोडरपुर तहसील मुण्डावर साबिक खसरा नंबर 239 से पैमूद हुये है। साबिक खसरा नम्बर 239 संवत 2018 में शिकमी दर्ज है इस कारण वादी वाद काबिल खारीज है। इस तनकी को साबित करने का भार जिम्मे प्रतिवादीगण का रहा है। प्रतिवादीगण विवादित आराजीयात पर काबिज है तथा काश्त कर रहे है तथा प्रतिवादीगण के पूर्वज का नाम सम्वत 2018 के खेवट स0 1 के खतोनी सं0 93 में राजस्व रिकोर्ड में दर्ज रहा है तथा वादी व वादी का पूर्वज आराजी से गैर वास्ता व गैर काबिज है, जिसका आराजी से किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है, अपने जवाब दावे में अंकित कर प्रस्तुत किया है के समर्थन में आराजी स्वयं की होने बाबत कोई दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये अर्थात तनकी को साबित करने में प्रतिवादीगण पूर्ण रूप से असफल रहे है। ऐसी स्थिति में इस तनकी को भी न्यायालय बरखिलाफ प्रतिवादीगण पाते हुये बहक वादीगण स्वीकार योग्य है।

तनकी सं0 3– उपरोक्त तनकीवार विवेचन के आधार पर वादीगण के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उपरोक्त तनकीवार विवेचन के आधार पर एवं वादीगण द्वारा अपने वादपत्र को सुसंगत दस्वावेजात के माध्यम से स्पष्ट रूप से सावित कर दिये जाने की स्थिति में वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाये जाने पर वादीगण की आराजी खसरा नम्बर 481 रकबा 0.62 हैक्टेयर वाके ग्राम टोडरपुर तह0 मुण्डावर बाबत वाद को डिक्री किया जाता है। आराजी खसरा नम्बर 481 रकबा 0.62 हैक्टेयर में प्रतिवादीगण के हो रहे अवैध कब्जे से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर हु0 ई0 दवामी से पाबंद किया जाता है कि उक्त आराजी पर भविष्य में जबरन कब्जा ना करें एवं वादीगण के कब्जेकाश्त में मजाहमत पैदा नां करें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 15.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल–तिजारा